



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 24 नवम्बर, 2022

थाना डिबाई

टॉप टेन अपराधी द्वारा जुआ/सट्टा का अपराध करके सृजित सम्पत्ति कीमत लगभग 43 लाख रुपये कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 24-11-2022 को तहसीलदार डिबाई, क्षेत्राधिकारी डिबाई एवं प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई द्वारा पुलिस टीम को साथ लेकर अपराधी **अनीस पुत्र अब्दुल शहीद निवासी मौ0 शेखम चिस्ती कस्बा व थाना डिबाई बुलन्दशहर** द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित/क्रय की गयी अचल सम्पत्ति(अनुमानित कीमत 43 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1)के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

अपराधी अनीस की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

- 1- एक मकान क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर
- 3- (कुल कीमत लगभग 43,40,000 रुपये)

अभियुक्त अनीस का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-189/18 धारा 13 जुआ अधि0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-509/22 धारा 3/4 सट्टा अधि0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-511/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-519/22 धारा 147/341/504/506 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-556/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

कार्यवाही करने वाली प्रशासन/पुलिस टीम का विवरण-

- 1- श्री वरुण कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी डिबाई
- 2- श्रीमती ज्योत्सना सिंह तहसीलदार डिबाई मय राजस्व टीम।
- 2- श्री अशोक कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई मय पुलिस टीम।



मीडिया सैल बुलन्दशहर